**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 377

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**सी॰बी॰एस॰ई॰ द्वारा परीक्षा की पद्धति में बदलाव**

**किया जाना**

**377. श्रीमती विजिला सत्यानंतः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी॰बी॰एस॰ई॰) वर्ष 2019 से दसवीं और बारहबीं कक्षाओं की परीक्षाओं की पद्धति में बदलाव करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कदम का वर्तमान में जारी अनुपूरक परीक्षाओं में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर परीक्षण किया जा रहा है;

(घ) क्या सी॰बी॰एस॰ई॰ ऐसे परीक्षा केन्द्रों को संभार सहायता प्रदान करने की भी योजना बना रहा है जिनमें पर्याप्त संख्या में प्रिंटिंग और जेरॉक्स मशीनें नहीं हैं; और (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्‍न नहीं उठता।

(ग): जी, नहीं। तथापि, केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने परीक्षा केन्‍द्रों में प्रश्‍नपत्रों की सुरक्षित पहुंच को सुनिश्‍चित करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्यागिकी (आईसीटी) की सहायता ली है और इसका अनुपूरक परीक्षा-2018 के दौरान प्रायोगिक आधार पर परीक्षण किया गया है।

(घ): इस समय परीक्षा केन्‍द्रों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्‍ताव बोर्ड के विचाराधीन नहीं है।

(ड.): प्रश्‍न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*